बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्र सं0 – वि0 प्रा0 (I)व 3 – 236/2000 706 पटना, दिनांक –7. 4. 2001

प्रेषक, श्री अनिल कुमार,
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

सेवा में,

प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक,/

प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय।

विषयः– शिशिक्षु अधिनियम 1973 एवं 1986 के अन्तर्गत राज्य के कार्य विभागों/अन्य संस्थानों में राजकीय पोलिटेकनिकों/अभियंत्रण महाविद्यालयों के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि दिनांक– 27.02.2001 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत डिप्लोमा एवं स्नातक अभि. उत्तीण छात्रों /छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्राचार्य कार्य विभागों/अन्य संस्थानों के स्थानीय पदाधिकारियों एवं उत्तीण छात्रों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करावें।

अतः आपकों निदेश दिया जाता है कि संलग्न सूची में संस्थान द्वारा कर्णांकित सीटों के अनुरूप संबंधित विभागों के स्थानीय पदाधिकारियों एवं वर्ष 2000–2001 के उर्तीण छात्रों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करावें। साथ ही की गयी कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग